21.02.2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उप.। रेस्पो. संख्या 01 की तरफ से अधिवक्ता श्री ओंकाराम चौधरी ने उप. होकर वकालतनामा पेश किया शामिल मिसल हो। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड खातेदार के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट अपने हिस्से की भूमि पर मकान बनाना चाहता है जिसकी अनुमती दी जावे। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे। रेस्पो. अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है दावे के विचाराधीन रहते भूमि के विशेष भू-भाग पर निर्माण की अनुमति

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं दी जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उभयपक्ष के हितों का निर्धारण दावे के निस्तारण पर ही संभव है दावे के सुनवाई में रहते निर्माण की अनुमति दिया जाना न्यायोचित नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में नहीं है उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपील खारिज करने योग्य रहती है लिहाजा अपील खारिज की जाती है तथा उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि दावे के निस्तारण तक अपीलाधीन मालकी मौजा आखरों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 287, 305, 336 रकबा क्रमशः 5.3823 हे., 3.8202 हे., 0.1781 हे. भूमि के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि मूल दावे का निस्तारण अधिकतम दो माह में करे। पत्रावली फैसल दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया। राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर	